

प्रेस नोट

23.03.2023

तीन शातिर अन्तरजनपदीय मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 अदद
मोटरसाइकिल बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में आज दिनांक 23.03.2023 को थाना कोपागंज पुलिस व स्वाट टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुख्यिर की सूचना पर फिरोजपुर पुलिया के पास से तीन शातिर अभियुक्तो आयुष राय पुत्र राजेश राय निवासी भदसामानोपुर थाना कोपागंज, तुषार यादव पुत्र जय प्रकाश यादव निवासी सेन्दुराईच थाना कोपागंज, रवि कुमार पुत्र राज कुमार राम निवासी पच्चिस्ता निबही थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिलों को बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान एक मोटरसाइकिल उक्त आयुष राय के निशानदेही पर उसके घर से बरामद किया गया जबकि एक मोटरसाइकिल जो पूर्व में लावारिस दाखिल किया गया था उनके द्वारा चुरायी गयी ज्ञात हुयी इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पूर्व में मु0अ0सं0 63 / 23 धारा 379 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत था। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90 / 23 धारा 411,420,467,468,471 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- आयुष राय पुत्र राजेश राय निवासी भदसामानोपुर थाना कोपागंज।
- तुषार यादव पुत्र जय प्रकाश यादव निवासी सेन्दुराईच थाना कोपागंज।
- रवि कुमार पुत्र राज कुमार राम निवासी पच्चिस्ता निबही थाना चिरैयाकोट।

बरामदगी—

- चोरी की 05 अदद मोटसाइकिल (एक अदद सुपर स्प्लेण्डर, दो अदद हिरो स्प्लेण्डर प्लस, एक अदद हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस, एक अदद एचएफ डिलक्स)।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम—

अमित कुमार मिश्र थानाध्यक्ष कोपागंज/प्रभारी स्वाट टीम, उ0नि0 राजनरायण पाण्डेय, हे0का0 विमलेश सिंह, का0 जितेन्द्र सिंह, हे0का0 नीरज शर्मा, हे0का अवधेश कुमार, का0 अंकित यादव, का0 आलोक सिंह।

एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, चोरी का दो मोबाइलफोन व अवैध तमंचा व कारतूस बरामद—

दिनांक 22.03.2023 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन मुंशीपुरा रोड से एक शातिर अभियुक्त सोनू डोम उर्फ बंसी डोम पुत्र स्व0 मोहन डोम निवासी सोनीथापा थाना कोतवाली जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा चोरी की एक मोटरसाइकिल प्रैशन प्रो व दो अदद मोबाइलफोन बरामद कर गिरफ्तर किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के

विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 111/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम व मु0अ0सं0 112/2023 धारा 411,413 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का है जिसके विरुद्ध पूर्व में कई थानों पर कुल 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 23.03.2023 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पूर्वाचल एक्सप्रेसवे पुल के नीचे से अक्षय प्रताप सिंह पुत्र इन्ददेव सिंह निवासी मजखनी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल यूपी 64 ई 9036 बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 88/23 धारा 41,411,413,475,482 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 23.03.2023 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कसारा मोड़ के पास से मु0अ0सं0 85/23 धारा 363,366,504,506,376 भादवि0 व धारा 3(1)5 एससी/एसटी एकट व धारा 5/6 पोक्सो एकट में वांछित अभियुक्त मोनू चौहान पुत्र दामोदर चौहान निवासी चचाइपार थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।